कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र। दिनांक- 3-12- 2021. पत्रांक 14-04/ओबरा/15 भू०ह०

सेवा में.

अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

- जनपद—सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं0 0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विषयः— ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों / पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों / पौधों के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0–8बी/यू०पी0/06/251/2021/एफ0सी0/S-2/9 दिनांक–26.11. सन्दर्भः– 2021 तथा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या–1649/11–सी–एफ0पी0/ यू०पी0/रोड/59458/2020 दिनांक–30.11. 2021.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित होने वाले वन भूमि का प्रस्ताव उचित माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। भारत सरकार के कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्र दिनाक– 26.11.2021 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है:--

- 1. Administrative approval/sanction letter of the project needs to be submitted.
- 2. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO
- 3. The NET suitable are for plantation as per the GIS-DSS analysis is 43.24 ha. which is needs to be submitted. less then the actual required CA land area.
- 4. As per the SOI toposheet of the proposed diverted area only the forest part polygon has been shown, SOI toposheet of complete proposed diverted area needs to be submitted in which properly demarcation of the forest, as well as Non-forest area.
- 5. In SOI toposheet visibility is poor, original SOI toposheet for area proposed for diversion and CA land (high dpi) needs to be resubmitted.
- 6. Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land area needs to be submitted.
- 7. Since the road passes through Kaimur Wild Life Sanctuary, hence it is proposed to inspect the site and date of site inspection shall be communicated subsequently.

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि आप भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी उपरोक्त आपत्तियाँ का निराकरण करते हुए, आवश्यक सूचना/अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कृष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। अवलोकन हेतु सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

बरा

20

रा /

9.;

म f

भवदीय (प्रस्थिर मिश्र) प्रभागीय वनाधिकारी

1404 अ⁄समदिनांकित। संख्या

आंबरा वन प्रमाग, ओबरा-सोनभद्र।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्श्व एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (प्रखर/मिश्न) प्रभागीय/वर्माधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

0 /c

F:\New Folder\AM-6.Docx

पशीचरण जन एवं जलवाय एकी कुल की श्रीय का cknow



226024 in Bill Blescon . 8 226024, Telefax 2426696

4त्र सं0 8बी/ यू04ी0/06/251/2021/एफ0सी0 | S-249

दिनौंक : 28 11 2021

रोगा में,

3 1

आति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, तन एवं जलवारा परितलेन तिमाग, उत्तर प्रदेश शारान हापू मवन, संखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/59458/2020

विषयः जनपद सोनभद्र में पीठएमठजीठएसठवाईठ खण्ड, लोक निर्माण विमाग द्वारा पटवध से वसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज २७ ०.००० से ६१ 500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदूढीकरण हेतु ओबरा वन प्रमाग में प्रमावित 34.6725 हैं। आरक्षित वनमूमि के गैरवानिकी प्रयोग त बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रयाग, गीरजापुर में प्रमावित 10.62 हे0 आरक्षित वनगूमि के गैरवानिकी प्रवोग एवं बाधक 194 क्यों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रमावित 45.2925 है० आरक्षित वनमूमि के गैरवानिकी प्रयोग द बाधक 1308 वृक्तों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भः सचिव(वन), उत्तर प्रदेश का पत्रांक-1748/81-2-2021-800(151)/2021, लखनऊ, दिनांक-12.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनिदम् 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की खीकृति मॉमी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिहिचत की जा सके-

- 1- Administrative approval/sanction letter of the project needs to be submitted.
- 2- Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be
- 3- The NET suitable are for plantation as per the GIS-DSS analysis is 43.24 ha, which is less than the actual required CA land area.
- 4- As per the SOI toposheet of the proposed diverted area, only the forest part polygon has been shown SOI toposheet of complete proposed diverted area needs to be submitted in which properly demarcation of the forest, as well as Non-forest area.

5- In SOI toposheet visibility is poor, original SOI toposheet for area proposed for diversion and CA land

- (high dpi) needs to be resubmitted.
- 6- Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land area needs to be submitted.
- 7- Since the road passes through Kaimur Wild Life Sanctuary, hence it is proposed to inspect the site and date of Site inspection shall be communicated subsequently.

भवदीया

(डॉ० प्राची गंगवार) उप वन महानिरीक्षक किन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल हारा).

- 1. प्रधान मुख्य धन लेखक(हॉफ), पन विभाग, 17. राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, ल०प्र०।
- 2. मुच्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, तन विमाग, 17, राणा प्रताय मार्ग, लखनक, उठाप्र०।
- प्रमागीय वनाधिकारी, ओबरा / केमूर वन्यजीव प्रमाग, मीरजापुर।
- अधिसाझी अभियन्ता, पोठएमठजीठएसठयाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनमद।

र्रावरण दन रच जतावानु परिवर्तन मंत्रारूय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेयसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

उप वन महानिर्शिकक विण्डीय।

कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ। पत्रांक– 1649 /11–सी–FP/UP/Road/59458/2020, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 30, 2021

- प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा⁄कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०न०वि०, सोनभद्र को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, ত্ত0प्र0, লखनऊ।